न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिक प्रकरण क0-325/11</u> संस्थापित दिनांक 30/09/11 फाईलिंग नं. 233504000372011

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

----<u>अभियोजन</u>

-: विरूद्ध :--

- राकेश पिता रामा निरापुरे, उम्र 29 वर्ष, जाति मेहरा, पेशा मजदूरी, नि0 आजाद वार्ड,
- 2. जावेद पिता तय्बखान, उम्र 30 वर्ष, जाति मुसलमान, नि० वार्ड नं. 5 आमला, उक्त दोनों—थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

---- <u>अभियुक्तगण</u>

—: निर्णय :— (आज दिनांक 25/02/2017 को घोषित)

- 1— अभियुक्त राकेश के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा 279, 337, 338 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 39/192 के तहत् तथा अभियुक्त जावेद के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180 के तहत दण्डनीय अपराध का अभियोग है कि आपने दिनांक 23/08/11 को समय 08:30 बजे शाम आमला आविरया रोड देशमुख के खेत के पास मोटर सायिकल सीटी कम्पनी की काले रंग की जिस पर हरा पट्टा बिना नम्बर की जिसका चेचिस नम्बर 01313/1084598 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक उतावलेपन से चलाकर आहत राकेश को टक्कर लगकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित हुई। उक्त वाहन को उपेक्षा पूर्वक उतावलेपन से चलाकर आहत प्यारेलाल मानकर को टक्कर मारकर घोर उपहित कारित की। उक्त वाहन को बिना लायसेंस के वाहन चलाया, उक्त वाहन को बिना रिजस्ट्रेशन के चलाया। आपने दिनांक 23/08/11 को समय 08:30 बजे शाम आमला आविरया रोड देशमुख के खेत के पास मोटर सायिकल सीटी कम्पनी की काले रंग की जिस पर हरा पट्टा बिना नम्बर की जिसका चेचिस नम्बर 01313/1084598 को बिना लाईसेंस के व्यक्ति को चलाने दिया।
- 2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23/08/11 के शाम करीबन 8:30 बजे वह घर पर था उसके पिता प्यारेलाल को दो लोग घायल अवस्था में लेकर आए तथा पिताजी को ठोक कर चले गए उसने पिताजी को देखा पिता बेहोश थे, तब वह व पड़ोसी दिनेश मानकर, मुन्ना मानकर, अशोक सोलंकी पिताजी को लेकर अस्पताल पहुँचे जहां उसे मालूम पढ़ा की उसके पिताजी को राकेश ने मो0सा0 से देशमुख के खेत

आमला से अवारियाँ रोड पर टक्कर मारी है। जिससे पिताजी घायल हुये है। राकेश को भी चोट लगी है। वह भी अस्पताल में इलाज करा रहा है। उसके पिताजी को एक्सीडेंट से आंये आंख के उपर और बांये पैर के अंगुठा, उंगली दांहिने पैर में चोट आई है। राकेश ने मो०सा० तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेंट कर चोट पहुँचाई है। घटना देखमुख के नौकर एवं आने जाने वालों ने देखा है।

- 3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—2 तैयार किया गया है जिसके आधार पर अपराध कं0—218/11 का अपराध धारा—279, 337, 338 भा0द0वि0 एवं 3/181, 5/180, 39/192 मोटर व्ही0 एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 24/08/11 को घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0—3 तैयार किया गया। दिनांक 30/09/11 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0—7 तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। दिनांक 30/09/11 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0—10 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 4— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहां कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— 🕒 अभियुक्त राकेश के संबंध में विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

1—''क्या आपने दिनांक 23/08/11 को समय 08:30 बजे शाम आमला आवरिया रोड देशमुख के खेत के पास मोटर सायकिल सीटी कम्पनी की कालेरंग की जिस पर हरा पट्टा बिना नम्बर की जिसका चेचिस नम्बर 01313/1084598 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?

2— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक उतावलेपन से चलाकर आहत राकेश को टक्कर लगकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित हुई?

3—उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक उतावलेपन से चलाकर आहत प्यारेलाल मानकर को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।

4— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को बिना लायसेंस के वाहन चलाया?

5— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया?

6- -: अभियुक्त जावेद के संबंध में विचारणीय प्रश्न यह है कि-

1— आपने दिनांक 23/08/11 को समय 08:30 बजे शाम आमला आवरिया रोड देशमुख के खेत के पास मोटर सायकिल सीटी कम्पनी की कालेरंग की जिस पर हरा पट्टा बिना नम्बर की जिसका चेचिस नम्बर 01313/1084598 को बिना लाईसेंस के व्यक्ति को चलाने दिया?"

—ः निष्कर्ष एवं उसके आधार :— विचारणीय प्रश्न क0 1,2,3 का निराकरण

7— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं 1 से 3 निराकरण किया जा रहा है जिससे की पुनरावृत्ति न हो।

8— अभियोजन प्यारेलाल (अ.सा.03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह रात में खेत से घर 7—8 बजे वापिस आ रहा था, जैसे ही अशोक देशमुख के खेत के पास पहुँचा, तभी पीछे से मोटर साईकिल के चालक ने तेजी से आया और टक्कर मार दी। वह उसके साईड से रोड के किनारे से चल रहा था। टक्कर लगने से ओठ, हाथ, पैर और जांघ पर चोंट आई थी। घटना में उसके पैर टूट गया था। वह घटना होते ही बेहोश हो गया था इसलिए मोटर साईकिल चालक व गाड़ी का नम्बर नहीं देख पाया था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना कारित करने वाले को नहीं देखा है वह आरोपी को नहीं पहचानता है। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा वाहन मोटर साईकिल को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न, उपहित एवं घोर उपहित कारित किया।

9— अभियोजन साक्षी संध्या (अ.सा.०1), अभियोजन साक्षी नान्हू (अ.सा.०2), अभियोजन साक्षी कैलाश (अ.सा.०6), अभियोजन साक्षी मुन्ना (अ.सा.०7), अभियोजन साक्षी गणेश (अ.सा.०8) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से घटना का समर्थन नहीं किया है।

10— अभियोजन साक्षी अशोक सोलंकी (अ.सा.05) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह खिड़की से बैल बांधने के लिए उसके खेत से जा रहा था। उसके गांव की ओर से ही मोटर साईकिल चालक चलाते हुये लाया मोटर साईकिल वाले ने प्यारेलाल वह उसके साथ था। घटना रोड की है और प्यारेलाल गिर गया और मोटर साईकिल वाला भी गिर गया और उसके पैर व सिर में भी चोट थी। मोटर साईकिल वाला बहुत स्पीड में था। प्यारेलाल जी उसके साईड से चल रहे थे। मोटर साईकिल वाला रांग साईड से आकर प्यारेलाल को टक्कर मार दिया था। उसे नहीं मालूम कि मोटर साईकिल कौनसी कंपनी की थी। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि दोनों टकरा गई थी किसकी गलती से दुर्घटना हुई, उसे नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस को उसने ऐसा ही बताया था। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त वाहन मोटर साईकिल को चला रहा था और उसकी उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई।

11— अभियोजन साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.०९) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 23/08/11 को प्रार्थी प्रहलाद के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 2 दर्ज किया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 24/08/11 को घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी० 3 बनाया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही साक्षी संध्या, प्रहलाद, नान्हू, के कथन एवं दिनांक 30/09/11 को साक्षी प्यारेलाल, अशोक सोलंकी, कैलाश, दिनेश, मुन्ना राकेश के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 30/09/11 को मोटर साईकिल स्टार सिटी जप्त किया था जो जप्ती पत्रक प्र0पी० 7 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी० 10 तैयार किया था। साक्षी प्यारेलाल के इलाज की पर्ची प्र0पी० 11 एवं राकेश की इलाज की पर्ची प्र0पी० 12 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह गवाह विवेचना अधिकारी है और यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इ

ाटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

विचारणीय प्रश्न कं 4, 5 का निराकरण एवं अभियुक्त जावेद के संबंध में विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण

- 12— अभियोजन साक्षी बिसनिसंह (अ.सा.09) ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि अभियुक्त घटना दिनांक को या वाहन को जप्त किया था उस समय अभियुक्त बिना लायसेंस के व बिना रिजस्ट्रेशन के वाहन चलाया। उसी प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा अभियुक्त जावेद के द्वारा बिना लायसेंस के व्यक्ति को वाहन चलाने को दिया गया हो, यह तथ्य भी अपनी संपूर्ण साक्ष्य में नहीं बताया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त राकेश के द्वारा बिना लायसेंस के वाहन चलाया एवं बिना रिजस्टेशन के वाहन चलाया एवं अभियुक्त जावेद के द्वारा बिना लायसेंस के व्यक्ति को वाहन चलाने दिया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 4, 5 एवं अभियुक्त जावेद के संबंध में विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।
- 13— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त राकेश ने मोटर सायिकल सीटी कम्पनी की कालेरंग की जिस पर हरा पट्टा बिना नम्बर की जिसका चेचिस नम्बर 01313/1084598 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त राकेश ने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक उतावलेपन से चलाकर आहत राकेश को टक्कर लगकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित हुई। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त राकेश ने वाहन को उपेक्षापूर्वक उतावलेपन से चलाकर आहत प्यारेलाल मानकर को टक्कर मारकर घोर उपहित कारित की। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त राकेश ने उक्त वाहन को बिना लायसेंस के चलाया। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त राकेश ने उक्त वाहन को बिना लायसेंस के चलाया। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त राकेश ने उक्त वाहन को बिना रिजस्ट्रेशन के चलाया।
- 14— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त जावेद के द्वारा बिना लायसेंस के व्यक्ति को वाहन चलाने दिया। इस प्रकार अभियुक्त राकेश को भा0द0वि0 की धारा— 279, 337, 338 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 39/192 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। साथ ही अभियुक्त जावेद को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 15— प्रकरण में अभियुक्तगण के धारा 313 द0प्र0सं0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 16— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर साईकिल इंजन नं. चेचिस नं. 01313/1084598 पूर्व से आवेदक/सुपुर्ददार जावेद पिता तय्ब उम्र 23 वर्ष, नि0

आमला, जिला बैतूल की सुपुर्दगी में है। उक्त वाहन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश मान्य किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टंकित। दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल म0प्र0